फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर (जोधपुर)

पुनाराम पुत्र गोकलराम वगैराह **बनाम** कानाराम पुत्र गोकलाराम वगैराह

किस्म मुकदमा धारा 212 राज. काश्तकारी अधि. 1955 (मुकदमा नम्बर 07/2023) (सन् 2023)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
13.01.2023	प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री घेवरदास रामावत द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का बताते हुए विवादग्रस्त भूमि पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलंग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि है। अप्रार्थीगण संख्या 07 प्रार्थीगणों के हिस्से की भूमि पर कब्जा करने एवं मौका स्थिति में परिवर्तन करने एवं निर्माण करने पर उतारू है जिससे रोका नही गया तो प्रार्थीगणों को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगणों के हिस्से में प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणों को आगामी पेशी तारीख 30.01.2023 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि मौजा ग्राम तोलेसर पुरोहितान पटवार हल्का भाटेलाई पुरोहितान तहसील बालेसर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 74, 74/2, 74/2, 74/3, 74/4 की भूमि पर अप्रार्थीगण निर्माण कार्य नही करें। आगामी पेशी तक मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त खसरों में चल रहे किसी भी प्रकार के रास्ते को उभयपक्ष अवरूद्व नही करें। उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर ए.डी. से प्रेषित करें। पत्रावली दिनांक 30.01.2023 को पेश हों। min उपखण्ड अधिकारी	
17/1/23	पत्रावली मे प्रा०प्र० श्री [illegible] पर पत्रावली आज तारीख पेशी पर ली गई। अप्रार्थी [illegible] द्वारा अब प्रा०प्र० [illegible] की सुनवाई का प्रा०प्र० प्रस्तुत किया गया एवं अब प्रा०प्र० का जवाब प्रस्तुत किया गया आमील किसल है। प्रति प्रार्थी अधि० को उपलब्ध करवाई गई। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस हेतु दिनांक 23/1/23 को पेश हो। स्थगन आदेश आगामी पेशी तक बढ़ाया जाता है। min	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.02.14 09:28:00 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज
3/9/24	पत्रावली पेश हुई। आवेदक 34(1) पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/9/24 को पेश हो।
17/9/24	आवेदक 34(1) पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/9/24 को पेश हो।
25/9/24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वर्तमान अधिवक्ता [illegible] कार्यालय [illegible] पर है। [illegible] दिनांक 21/10/24 को पेश हो।
21/10/24	आवेदक 34(1) पत्रावली बाबत बहस दिनांक 3/12/24 को पेश हो।
3/12/24	आवेदक प्रार्थी अनु0 व्यवसाय [illegible] आवेदक लगाई गई प्रार्थी अनु0 अतः पत्रावली अथम [illegible] में बाबत की जाती है। पत्रावली [illegible] को कम होकर फाइल पत्र हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.02.14 09:28:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर